अनुदान संख्या 96 – चंडीगढ़
GRANT No. 96–CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*40,29,00*	*48,86,00*	*48,80,89*	*–5,11*
पूरक	*Supplementary*	*8,57,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1277,34,00	1407,76,00	1407,16,65	–59,35
पूरक	Supplementary	130,42,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*35,00*	*35,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	229,67,00	395,18,00	395,15,08	–2,92
पूरक	Supplementary	165,51,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**					
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"					
न्याय प्रशासन	Administration of Justice					
मू.		O.	1215.00			
पू.		S.	300.00	1689.32	1668.42	–20.90
पु.		R.	174.32			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"					
निर्वाचन	Elections					
मू.		O.	189.00	60.00	60.00	..
पु.		R.	–129.00			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"					
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services					
मू.		O.	402.00			
पू.		S.	44.00	437.01	436.42	–0.59
पु.		R.	–8.99			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"					
पुलिस	Police					
मू.		O.	9500.00			
पू.		S.	835.00	10352.00	10348.08	–3.92
पु.		R.	17.00			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"					
बिजली	Power					
मू.		O.	36502.00			
पू.		S.	5153.00	41879.14	41879.00	–0.14
पु.		R.	224.14			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ज-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष ''2210''	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	8888.00				
पू.	S.	768.00		9545.31	9544.96	–0.35
पु.	R.	–110.69				
ठ-विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**K-Department of School Education and Literacy**					
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	5881.00				
पू.	S.	1228.00		7113.63	7102.15	–11.48
पु.	R.	4.63				
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	12070.00				
पू.	S.	833.00		12960.34	12955.11	–5.23
पु.	R.	57.34				
ड-महिला और बाल विकास विभाग	**M-Department of Women and Child Development**					
मुख्य शीर्ष ''2235''	Major Head "2235"					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare					
मू.	O.	692.00				
पू.	S.	14.00		676.21	675.51	–0.70
पु.	R.	–29.79				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2236'' पोषण	Major Head "2236" Nutrition				
मू.	O.	222.00	110.00	110.00	..
पु.	R.	–112.00			
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**				
मुख्य शीर्ष ''2204'' खेल और युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	1179.00	1034.08	1030.51	–3.57
पू.	S.	54.00			
पु.	R.	–198.92			
ण-संस्कृति मंत्रालय	**O-Ministry of Culture**				
मुख्य शीर्ष ''2205'' कला और संस्कृति	Major Head "2205" Arts and Culture				
मू.	O.	724.00	744.68	735.57	–9.11
पू.	S.	76.00			
पु.	R.	–55.32			
थ-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**Q-Ministry of Information and Broadcasting**				
मुख्य शीर्ष ''2220'' सूचना तथा प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity				
मू.	O.	133.00	169.00	168.89	–0.11
पू.	S.	16.00			
पु.	R.	20.00			
द-श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	**R-Ministry of Labour and Employment**				
मुख्य शीर्ष ''2230'' श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	510.00	513.64	509.38	–4.26
पू.	S.	17.00			
पु.	R.	–13.36			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ध-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष ''3055'' सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	9339.00				
पू.	S.	795.00		10086.65	10086.46	–0.19
पु.	R.	–47.35				
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष ''2058'' लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing					
मू.	O.	1183.00				
				1172.76	1172.10	–0.66
पु.	R.	–10.24				
मुख्य शीर्ष ''2059'' लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works					
मू.	O.	6963.00				
पू.	S.	745.00		7813.93	7801.08	–12.85
पु.	R.	105.93				
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	2466.00				
पू.	S.	252.00		2675.51	2673.46	–2.05
पु.	R.	–42.49				

(I) 3.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''सिविल और सत्र न्यायालय - स्थापना'' - 586.20 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00

(I) Provision of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grant obtained in February, 2009 under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2014" – "Civil and Session Courts – Establishment" - the original provision

लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 596.20 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 18.66 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) बिजली और पानी के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी-अस्पताल तथा औषधालय" -

(क) "अन्य औषधालय" - 850.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 873.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 37.03 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र" - 286.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 294.60 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 32.65 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - महिला कल्याण - विधवा/निस्सहाय महिलाओं को वित्तीय सहायता" - 366.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 373.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 25.93 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(घा) मुख्य शीर्ष "2204" -

(क) "शारीरिक शिक्षा - खेलकूद अनुशिक्षण (कोचिंग) केंद्र" - 777.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 791.60 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 116.62 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) खेलकूद अनुशिक्षण केंद्र के लिए सुविचारित की गई सहायता अनुदान की मात्रा के कम होने, दैनिक वेतनभोगियों को कम संख्या

of Rs.586.20 lakhs was augmented to Rs.596.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.18.66 lakhs (including supplementary grant) – due to non- receipt of electricity and water bills.

(B) Major Head "2210" – "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries" –

(a) "Other Dispensaries" - the original provision of Rs.850.00 lakhs was augmented to Rs.873.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.37.03 lakhs (including supplementary grant) – due to less purchase of material.

(b) "Primary Health Centres" - the original provision of Rs.286.60 lakhs was augmented to Rs.294.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.32.65 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts.

(C) Major Head "2235" – "Social Welfare – Women's Welfare – Financial Assistance to Widow's/Destitute Women" - the original provision of Rs.366.00 lakhs was augmented to Rs.373.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.25.93 lakhs (including supplementary grant) – due to less number of beneficiaries.

(D) Major Head "2204" –

(a) "Physical Education – Sports Coaching Centre" - the original provision of Rs.777.60 lakhs was augmented to Rs.791.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.116.62 lakhs (including supplementary grant) – due to less quantum of Grants-in-aid

में नियुक्त किए जाने और बिजली, टेलीफोन एवं पानी के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

calculated to Sports Coaching Centre, less employment of daily wagers and non-receipt of electricity, telephone and water bills.

(ख) ''विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय कैडेट कोर'' - 232.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 28.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 260.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 37.79 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और बिजली तथा पानी के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Youth Welfare Programmes for Students – National Cadet Corps" - the original provision of Rs.232.00 lakhs was augmented to Rs.260.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.28.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.37.79 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of water and electricity bills.

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2205'' -

(E) Major Head "2205" –

(क) ''ललित कला शिक्षा - सरकारी कला कालेज'' - 241.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 42.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 283.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 59.87 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पदों का सृजन न होने के कारण हुई।

(a) "Fine Arts Education – Government College of Arts" - the original provision of Rs.241.00 lakhs was augmented to Rs.283.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.42.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.59.87 lakhs (including supplementary grant) – due to non-creation of posts.

(ख) ''अन्य व्यय - टी.एस केंद्रीय राजकीय पुस्तकालय, चंड़ीगढ़'' - 209.29 लाख रु. के मूल प्रावधान को 17.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 226.29 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 20.98 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पदों का सृजन न किए जाने और सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – T.S. Central State Library, Chandigarh" - the original provision of Rs.209.29 lakhs was augmented to Rs.226.29 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.17.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.20.98 lakhs (including supplementary grant) – due to non-creation of posts and less purchase of material.

(चा) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - सामान्य श्रमिक कल्याण - श्रमिक कल्याण संगठन'' - 63.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 72.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 27.53 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(F) Major Head "2230" - "Labour – General Labour Welfare – Labour Welfare Organisation" - the original provision of Rs.63.00 lakhs was augmented to Rs.72.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.27.53 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts.

(छा) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - मशीनरी तथा उपस्कर - मरम्मत तथा ढुलाई" - 2.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 6.81 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - चंड़ीगढ़" - 402.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 44.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 446.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और कम दौरे किए जाने के कारण 9.58 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" - "पुलिस कार्मिकों का कल्याण" -

(क) "पुलिस औषधालय" - 91.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 102.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि,जो 6.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ख) "पुलिस विद्यालय" - 148.65 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 156.65 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 7.49 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(गा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - होम्योपैथी - चिकित्सालय" - 57.75 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 64.75 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 6.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(G) Major Head "2059" - "General - Machinery and Equipment – Repairs and Carriage" - the original provision of Rs.2.00 lakhs was augmented to Rs.8.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.6.81 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less claims.

(III) Supplementary grant obtained in February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat - Chandigarh" - the original provision of Rs.402.00 lakhs was augmented to Rs.446.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.44.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.58 lakhs – due to receipt of less medical claims and less touring.

(B) Major Head "2055" – "Welfare of Police Personnel" -

(a) "Police Dispensary" - the original provision of Rs.91.50 lakhs was augmented to Rs.102.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.07 lakhs;

(b) "Police School" - the original provision of Rs.148.65 lakhs was augmented to Rs.156.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.49 lakhs; and

(C) Major Head "2210" –

(a) "Urban Health Services – Other System of Medicine – Homoeopathy – Dispensary" - the original provision of Rs.57.75 lakhs was augmented to Rs.64.75 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.06 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(ख) ''चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज'' - 5123.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 444.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5567.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम चिकित्सा बिल प्राप्त होने और संविदागत सेवाओं के कतिपय दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 92.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता - प्राथमिक विद्यालय'' - 135.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 58.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 193.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विभाग द्वारा निर्धारित की गई यात्रा के कारण 10.96 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर - सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान'' - 260.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 129.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 389.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सहायता अनुदान की मात्रा में कमी किए जाने की वजह से निजी विद्यालयों को वेतन की अदायगी के लिए अग्रिम अनुदान जारी किए जाने के कारण 46.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''फिल्में - निदेशन और प्रशासन - जन संपर्क'' - 95.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 111.70 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 10.27 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government Medical College" - the original provision of Rs.5123.00 lakhs was augmented to Rs.5567.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.444.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.92.53 lakhs – due to receipt of less medical bills and non-finalisation of certain claims of contractual services.

(D) Major Head "2202"-

(a) "Elementary Education – Assistance to Non-Government Primary Schools – Primary Schools" - the original provision of Rs.135.00 lakhs was augmented to Rs.193.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.58.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10.96 lakhs – due to as per quantum decided by the department.

(b) "Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools – Grants-in-aid to Private Schools" - the original provision of Rs.260.00 lakhs was augmented to Rs.389.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.129.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.46.08 lakhs – due to releasing the advance grant to the private schools for the payment of salaries as the quantum of Grants-in-aid decreased.

(E) Major Head "2220" – "Films – Direction and Administration – Public Relation" - the original provision of Rs.95.70 lakhs was augmented to Rs.111.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10.27 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(चा) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''चंड़ीगढ़ परिवहन निगम - परिचालन'' - 7627.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 530.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8157.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पेट्रोल, तेल और स्नेहकों की दरों में कटौती किए जाने के कारण 70.51 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(छा) मुख्य शीर्ष ''2215'' -

(क) ''जल पूर्ति - निदेशन तथा प्रशासन - कार्यकारी स्थापना'' - 493.39 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 518.39 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 14.68 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''जलमल तथा सफाई - सफाई सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय'' - 213.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 55.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 268.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो काम का कम अवसर होने के कारण 6.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2015'' - अन्य व्यय - नगरपालिकाओं के चुनाव'' के अंतर्गत 129.00 लाख रु. की बचत (189.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगमों के चुनाव न कराए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - पंजाब विश्वविद्यालय, चंड़ीगढ़'' के अंतर्गत 213.08 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित कम सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2236'' - ''पौष्टिक खाद्य तथा पेय पदार्थों का वितरण - विशेष पोषण कार्यक्रम - अधिप्राप्ति तथा

(F) Major Head "3055" – "Chandigarh Transport Undertaking – Operation" – the original provision of Rs.7627.50 lakhs was augmented to Rs.8157.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.530.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.70.51 lakhs – due to reduction in rates of Petrol, Oil and Lubricants.

(G) Major Head "2215" –

(a) "Water Supply – Direction and Administration – Executive Establishment" - the original provision of Rs.493.39 lakhs was augmented to Rs.518.39 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.68 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Expenditure in UTs without Legislature" - the original provision of Rs.213.00 lakhs was augmented to Rs.268.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.02 lakhs – due to less scope of work.

(IV) Under Major Head "2015" – "Other Expenditure – Election for Municipalities" – saving of Rs.129.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.189.00 lakhs) was due to non-holding of Municipal Corporation election.

(V) Under Major Head "2202" - "University and Higher Education - Assistance to Universities – Punjab University, Chandigarh"- saving of Rs.213.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to less release of Grants-in-aid as fixed by the Ministry of Human Resources Development.

(VI) Under Major Head "2236" – "Distribution of Nutritious Food and Beverages – Special Nutritions Programme – Procurement and

वितरण'' के अंतर्गत 112.00 लाख रु. की बचत (222.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को लागू न किए जाने और लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''2058'' - ''लेखन सामग्री भंडार की खरीद तथा आपूर्ति - लेखन सामग्री भंडार'' के अंतर्गत 114.23 लाख रु. की बचत (260.05 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेपरों की कम खरीद किए जाने और पानी तथा बिजली के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.14 लाख रु. की बचत हुई और यह स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''उच्च न्यायालय - स्थापना'' - 172.98 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 265.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 741.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - गैर-सरकारी कालेजों और संस्थानों को सहायता - निजी कालेजों को सहायता अनुदान'' - 123.57 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 110.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1515.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मंहगाई भत्ता किस्त के बकाया की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''पारेषण तथा वितरण - चंड़ीगढ़ में बिजली का पारेषण तथा वितरण - बिजली का वितरण'' - 224.00 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 5153.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 41655.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से बिजली की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

Distribution" – saving of Rs.112.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.222.00 lakhs) was due to non-implementation of scheme and less number of beneficiaries.

(VII) Under Major Head "2058" – "Purchase and Supply of Stationery Stores – Stationery Stores" – saving of Rs.114.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.260.05 lakhs) was due to less purchase of papers and non-receipt of water and electricity bills.

(VIII) Under one head saving of Rs.55.14 lakhs occurred constituting 41 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" – "High Courts - Establishment" - excess of Rs.172.98 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.741.00 lakhs including supplementary grant of Rs.265.00 lakhs obtained in February, 2009); and

(B) Major Head "2202" - "University and Higher Education – Assistance to Non-Government Colleges and Institutes – Grants-in-aid to Private Colleges"- excess of Rs.123.57 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1515.00 lakhs including supplementary grant of Rs.110.00 lakhs obtained in February, 2009).

Excess under the above two heads was due to payment of arrears of dearness allowance instalment.

(C) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution – Transmission and Distribution of Power in Chandigarh – Distribution of Power"- excess of Rs.224.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.41655.00 lakhs including supplementary grant of Rs.5153.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to purchase of power from National Thermal Power Corporation.

(घा) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल तथा औषधालय - सामान्य अस्पताल, चंड़ीगढ़'' - 103.69 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 286.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2085.60 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दवाईयों की खरीद किए जाने, मंहगाई भत्ता किस्त के बकाया की अदायगी किए जाने और लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(D) Major Head "2210" – "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – General Hospital, Chandigarh" - excess of Rs.103.69 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2085.60 lakhs including supplementary grant of Rs.286.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to purchase of more medicines, payment of arrear of dearness allowance instalment and to clear the pending bills.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 70.47 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ और यह स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.70.47 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	**A-Ministry of Home Affairs** Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	1536.00				
पु.	R.	–623.30		912.70	913.02	+0.32
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मुख्य शीर्ष ''4406'' वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	**F - Ministry of Environment and Forests** Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wildlife					
मू.	O.	210.00				
पू.	S.	500.00		1110.00	1110.00	..
पु.	R.	400.00				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.	1500.00				
पू.	S.	600.00		2445.18	2445.09	–0.09
पु.	R.	345.18				
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture					
मू.	O.	970.00				
पू.	S.	364.00		1259.69	1259.66	–0.03
पु.	R.	–74.31				
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**					
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture					
मू.	O.	560.00		318.59	318.58	–0.01
पु.	R.	–241.41				
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport					
मू.	O.	795.00		807.46	807.45	–0.01
पु.	R.	12.46				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
न-पर्यटन मंत्रालय	**T-Ministry of Tourism**					
मुख्य शीर्ष ''5452''	Major Head "5452"					
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism					
मू.	O.	225.00		89.26	89.26	. .
पु.	R.	–135.74				
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U- Ministry Urban Development**					
मुख्य शीर्ष ''4216''	Major Head "4216"					
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	1721.00				
पू.	S.	8988.00		10586.38	10586.50	+0.12
पु.	R.	–122.62				
मुख्य शीर्ष ''4217'' शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development					
मू.	O.	10828.00				
पू.	S.	4165.00		15440.28	15440.19	–0.09
पु.	R.	447.28				

(I) 140.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 135.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''5055'' - ''चंड़ीगढ़ परिवहन निगम - प्रशासनिक ब्लाक'' के अंतर्गत स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.140.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.135.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5055" – "Chandigarh Transport Undertaking – Administrative Block" – due to non-implementation of scheme.

(II) फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी - अन्य मदें'' - 574.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त

(A) Major Head "4210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Other Items" – the original provision of Rs.574.00 lakhs

करके बढ़ाकर 774.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वाहनों तथा मशीनरी की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 102.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास" - 329.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 935.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1264.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 111.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - न्याय प्रशासन" के अंतर्गत 639.94 लाख रु. की बचत (1505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष "4202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - भवन" - 166.15 लाख रु. की बचत (415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "तकनीकी शिक्षा - पोलिटेक्निक्स - भवन" - 182.91 लाख रु. की बचत (386.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "खेलकूद तथा युवा सेवाएं - अन्य व्यय - भवन" - 241.42 लाख रु. की बचत (560.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष "5452" - "सामान्य - अन्य व्यय - संघ राज्य क्षेत्र अतिथि गृह का विस्तार" के अंतर्गत 135.74 लाख रु. की बचत (225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने/देरी से प्राप्त होने के कारण हुईं।

was augmented to Rs.774.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.102.12 lakhs - due to non-finalisation of proposal for purchase of vehicles and machinery.

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Accommodation for Government Employees" - the original provision of Rs.329.00 lakhs was augmented to Rs.1264.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.935.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.111.00 lakhs;

(III) Under Major Head "4059" - "Other Buildings – Construction – Administration of Justice" – saving of Rs.639.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1505.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "4202" – savings occurred under the following heads:-

(A) "General Education – University and Higher Education - Buildings" - saving of Rs.166.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.415.00 lakhs);

(B) "Technical Education – Polytechnics - Buildings" - saving of Rs.182.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.386.00 lakhs);

(C) "Sports and Youth Services – Other Expenditure - Buildings" - saving of Rs.241.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.560.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "5452" - "General – Other Expenditure – Expansion of Union Territory Guest House" – saving of Rs.135.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to non/late receipt of administrative approval.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 179.39 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under three heads savings of Rs.179.39 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 36 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4406'' - ''वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भवन - भूमि का अधिग्रहण'' - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 710.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) और अधिक भूमि का अधिग्रहण किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4406" – "Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Acquisition of Land" – excess of Rs.400.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.710.00 lakhs including supplementary grant of Rs.500.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to requirement of additional funds for acquisition of more land.

(खा) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज/500 बिस्तरों वाला दूसरा सामान्य अस्पताल, सेक्टर-32, चंड़ीगढ़'' - 456.46 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1308.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने, विभिन्न किस्म की मशीनरी की खरीद किए जाने और लंबित बिलों के निपटाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital, Sector 32, Chandigarh" – excess of Rs.456.46 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1308.00 lakhs including supplementary grant of Rs.400.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to requirement of additional funds for early completion of ongoing works, purchase of various type of machinery and to clear the pending bills.

(गा) मुख्य शीर्ष ''5055'' - ''बेड़े का अधिग्रहण'' - चंड़ीगढ़ परिवहन निगम'' - 163.05 लाख रु. का अधिक व्यय (410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई बसों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "5055" – "Acquisition of Fleet – Chandigarh Transport Undertaking" – excess of Rs.163.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.410.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of new buses.

(घा) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - भवन'' - 256.46 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 364.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 439.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(D) Major Head "4202" – "General Education – Secondary Education – Buildings" - excess of Rs.256.46 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.439.00 lakhs including supplementary grant of Rs.364.00 lakhs obtained in February, 2009); and

(ङ) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास - निर्माण - अन्य स्कीमें'' - 365.70 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 3889.00

(E) Major Head "4217" – "State Capital Development – Construction - Other Schemes" - excess of Rs.365.70 lakhs (against the total

लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 8157.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 169.79 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 24 प्रतिशत था।

sanctioned provision of Rs.8157.00 lakhs including supplementary grant of Rs.3889.00 lakhs obtained in February, 2009).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for completion of ongoing works.

(II) Under two heads excess of Rs.169.79 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 18 percent and 24 percent of the sanctioned provision.